# अपील डिक्री / टी.ए. / 5842 / 2003 / हनुमानगढ
## रेवन्ता बनाम देवकरण आदि

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**खण्ड-पीठ**
**श्री चिरंजी लाल दायमा, सदस्य**
**श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य**

**उपस्थिति :-**
श्री सोहनपाल सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अमृतपाल सिंह, अभिभाषक
श्री दुनीचन्द डिढारिया, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

**दिनांक : 20 नवम्बर, 2018**

**निर्णय**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा-224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17-11-2003 के प्रस्तुत की गयी है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 देवकरण ने न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, नोहर के यहां एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम दलपतपुरा तहसील नोहर में स्थित विवादग्रस्त भूमि खसरा संख्या-263 रकबा 80 बीघा का वादी 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या-1 अपीलान्ट रेवन्ता 1/12 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या-2 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या-9) एवं प्रतिवादी संख्या-3 लगायत 7 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या-2 लगायत 6) 1/12 हिस्से के एवं प्रतिवादी संख्या-8 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या-7) रामजीसिंह 1/4 हिस्से के सहखातेदार है। जिन्होंने आपसी बाहमी बंटवारा मौके पर कर लिया है जिसके मुताबिक वादी देवकरण के हिस्से में पूर्व की ओर की 12 बीघा एवं पश्चिमी की ओर की 28 बीघा छोड करके बीच की 40 बीघा उसके हिस्से में आई है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादीगण काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादी के उक्त हिस्से में आई 40 बीघा भूमि में से सिद्धमुख नहर निकाली जा रही है। इसलिये वादी को उक्त नहर का मुआवजा अकेले प्राप्त करने का अधिकारी माना

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | जावे एवं उक्त बाहमी बंटवारा मुताबिक अलग अलग खाता कायम किया जावे। उक्त वाद का जवाबदावा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किया, साथ में अपना काउन्टर कलेम प्रस्तुत करके दावा में वर्णित सभी तथ्यों को इन्कार कर स्पष्ट किया कि वादग्रस्त भूमि के पश्चिमी भाग के 1/6 हिस्से पर बाहमी बंटवारा मुताबिक प्रतिवादी संख्या-1 व 2 काबिज है। जिस पर उनको खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता अलग अलग कायम किया जावे। सहखातेदारी काश्तकारी की भूमि का आपसी बंटवारा भूमिधारी तहसीलदार की सहमती से ही कानूनन हो सकता है। बिना भूमिधारी की सहमति लिये किया गया बंटवारा कानूनन शून्य होता है। पारिवारिक बंटवारा भी रजिस्टर्ड होना चाहिये। विवादग्रस्त आराजीयात सहखातेदारी की भूमि है एवं संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर सहखातेदार का कब्जा काश्त माना जाता है। विवादग्रस्त आराजीयात में से निकाली जा रही सिद्धमुख नहर की समस्त मुआवजा राशि अकेले हडपने की नियत से ही मनगढन्त एवं झंठे तथ्यों पर आधारित होकर वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसको दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने डिक्री करके मुआवजा की समस्त राशि भी अकेले वादी देवकरण को देने का आदेश पारित कर दिया, जबकि मुआवजा राशि देने का क्षेत्राधिकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों को प्राप्त ही नही था। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31-10-2002 व 17-11-2003 क्षेत्राधिकारविहिन होने के कारण प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है।<br><br>न्यायालय सहायक कलेक्टर, नोहर ने अपने आदेश दिनांक 31-10-2002 में यह माना है कि प्रतिवादी संख्या-3 ता 8 में इकबाली जवाबदावा पेश कर स्वीकार किया है कि नहर वादी के कब्जे काश्त की 40 बीघा खातेदारी की भूमि से निकली है तथा प्रतिवादी संख्या-1 ने भी अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार किया है। नहर का निर्माण वादी के हिस्से की 40 बीघा भूमि में हुआ है। इसलिये नहर के कलेम की राशि वादी प्राप्त करने का अधिकारी है तथा जितनी भूमि नहर से आयी है वह वादी के हिस्से की 40 बीघा भूमि में नहर के नाम दर्ज दर्ज करवाने के अधिकारी है। इस आदेश की अपील विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के यहां किये जाने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17-11-2003 के यह आदेशित किया है कि पारिवारिक समझौता भू धारक की | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | सहमति के बिना शून्य है। परन्तु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 में किये गये संशोधन के अनुसार सहखातेदार आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन कर सकते हैं। पारिवारिक समझौता का पंजीकृत करवाना आवश्यक नही है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि वादी द्वारा कौनसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं किस आधार पर वाद हेतुक प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा खाता विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है जिसमें जमाबन्दी की सत्य प्रति प्रस्तुत की है व खाता संयुक्त होने के कारण भी खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलान्ट निराधार होने से न्यायालय सहायक कलेक्टर, नोहर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-10-2002 को यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।<br><br>हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।<br><br>अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विचारण न्यायालय के द्वारा उनके काउन्टर कलेम को निर्णित ही नहीं किया है। विभाजन के मामले में भूमिधारी की सहमति होना आवश्यक है। अन्तिम डिक्री जारी होने से पहले कुरेजात रिपोर्ट का आना आवश्यक है एवं भेजे गये कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर ही अन्तिम डिक्री जारी की जा सकती है। दानों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिसम्मत नहीं है, जिससे उनकी अपील को स्वीकार करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें।<br><br>विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी बहस के जवाब में बताया कि विभाजन के मामलों में सहमति नहीं होने पर ही दावा किया गया है। प्राथमिक डिक्री को स्वीकार किया है। प्राथमिक डिक्री को इनके द्वारा चैलेन्ज भी नहीं किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट का हिस्सा एडमिट है। अपीलान्ट रेवताराम पूर्व में हुये बंटवारा को स्वीकार कर रहा है। पक्षकारों में पूर्व में बंटवारा हुआ था और उसी बंटवारा के अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निर्णय है जिन पर अपील के माध्यम से उनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।<br><br>यह सही है कि विवादग्रस्त आराजीयात अपीलान्ट एवं वादीगण की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें रेस्पोन्डेन्ट देवकरण का 1/2 हिस्सा दर्ज है। राजीनामा की जो प्रति प्रस्तुत की गयी है उस पर अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट तथा अन्य सहखातेदारों के हस्ताक्षर किये हुये हैं। पक्षकारों में हिस्से का कोई विवाद नहीं है। हिस्से अनुसार रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 का विवादग्रस्त आराजीयात में 1/2 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या-8 रामजी सिंह द्वारा इकबाली जवाबदावा पेश कर दावा को स्वीकार किया है। अपीलान्ट के द्वारा जवाबदावा के साथ अपना काउन्टर कलेम भी पेश किया गया था। प्रतिवादी संख्या-4 जगदीश के द्वारा भी इकबाली जवाबदावा पेश कर दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया था। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या-3, 5, 6 व 7 के द्वारा भी इकबाली जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा डिक्री करने हेतु निवेदन किया था। प्रदर्श-1 इकरारनामा भी अगुणा व आथुणा हिस्से के बारे में इसमें यह अंकित किया गया है कि भैरा जो कि देवकरण के पिता है, उसका अथुणा हिस्सा है, शेष का अगुणा हिस्सा है। भैरा के हिस्से पर वो कोई दखलनदाजी नहीं कर सकते। गवाह भादरराम पुत्र शेराराम जाति जाट सरदारपुरा ने अपने बयानों में बताया है कि उसका खेत उनके खेत की सिंव से लगता हुआ है। अगुणा की तरफ कबूतरों की भूमि है। आथुण कुशलाराम गोपाल का खेत है। उत्तर की तरफ भेरा, रामप्रताप फातमा का खेत है। दक्षिण की तरफ गउशाला व नेणों की जमींन है। इस जमींन का बंटवारा पहले हो गया था। बंटवारा के अनुसार 28 बीघा पश्चिम की तरफ वादीगण की एवं 12 बीघा भूमि पूर्व की तरफ वादीगण की है। बीच की 40 बीघा भूमि वादी देवकरण की है। इस जमींन को मैंने इसी बंटवारे के अनुसार काश्त करते देखा है तथा नहर सिंधमुख का निर्माण देवकरण के हिस्से की भूमि में बनी है। इसी प्रकार बयान नानू पुत्र चन्दूराम निवासी दलपतपुरा ने भी अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि विवादग्रस्त आराजीयात का बंटवारा पूर्व में हो रखा है। देवकरण अपनी जमींन करीब 35 वर्ष से अलग काश्त करता है जो 40 बीघा काश्त करता है। नहर जो बनी है वो देवकरण की जमींन से बनी है। देवकरण काश्त करता है वहां से बनी है। देवकरण बीच में काश्त करता है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | हमारे से पूर्व में काश्त करता है। यह सही है कि देवकरण से पूर्व की ओर 12 बीघा जमींन और है। यदि पश्चित की जमींन13 बीघा जमींन दी जाती है तो खाता अलग करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। भाईयों के साथ जो केस चला था उसमें राजीनामा हुआ था। इन सब तथ्यों से स्पष्ट है कि जिस हिस्से पर नहर का निर्माण किया गया है वह रेस्पोन्डेन्ट संख्या-1 देवकरण की भूमि पर ही किया गया है। यह तथ्य गवाहों की साक्ष्य से साबित होता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती निष्कर्ष पर आधारित है, जिनमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।<br><br>अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं।<br><br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**( धूकलराम कसवॉ )** **सदस्य**     **( चिरंजी लाल दायमा )** **सदस्य** | |

**अपील डिक्री / टी.ए. / 5842 / 2003 / हनुमानगढ**

**रेवन्ता बनाम देवकरण आदि**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | | |
| | | |